न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प बिजौलियां कला बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS

राजस्व प्रकरण संख्याः–1/2015 दायर तारीख 05.08.2015

1. सेवालाल पिता नारायण जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. रामचन्द्र पिता नारायण जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............अपीलांट

बनाम

1. घीसीलाल पिता नारायण जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. केसी पुत्री नारायण जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. लादू पिता छगना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. लाली पिता छगना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. दुर्गा पिता छगना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
6. काली पिता छगना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा
7. प्यारी बेवा छगना जाति रेगर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा (मृतक नाम हटाया)
8. ग्राम पंचायत बिजौलियां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिजौलियां
9. तहसीलदार बिजौलियां

..........रेस्पोडेंटगण

उपस्थितः–

1. ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता रेस्पोडंट

अपील विरुद्व निर्णय ग्राम पंचायत बिजौलियां नामान्तरकरण संख्या 2188 दिनांक 21.02.2012 निरस्त किये जाने बाबत

:–निर्णयः– दिनांक 28.06.2018

अपील नामान्तरकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अपीलार्थी ने अपील विरुद्व रेस्पोडेंटगण नामान्तरकरण संख्या–2188 पर ग्राम पंचायत बिजौलियां कला तह0 बिजौलियां द्वारा पारित आदेश 21.02.2012 अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अपील इस न्यायालय में पंजीबद्व कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। ग्राम बिजौलियां कला में अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आ0नं0 441/3, 442/3, 563/2, 1522/197 किता 4 रकबा 3 बीघा भूमि अपीलांट के पिता नारायण पिता धुला रेगर के खाते दर्ज थी। खातेदारान नारायण पिता धुला का देहान्त हो जाने से भूमि रेस्पोडेंट के नाम पर विरासत से दर्ज की गई किन्तु अपीलांट के नाम पर भूमि दर्ज नही की गई। तत्कालीन सरपंच बिजौलियां कला द्वारा अवैध रिती प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरकरण

से नामानतरकरण की प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन किया दिनांक 02.07.2015 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पृथक से पेश किया अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे नामान्तरकरण संख्या 2188 निर्णय दिनांक 21.02.2012 निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर करवाई जाकर रेस्पोडेंट की तलवी जरिये नोटिस मय अपील मेमो भेज करवाई गई।

रेस्पोडेंट 1 व 2 की और से अधिवक्ता जगदीशचन्द्र धाकड ने अन्डर टेकिंग ली। रेस्पोडेंट नं0 3,4,5 बावजूद इत्तलहा गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्व एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेंट नं0 7 की मृत्यू हो जाने से अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से नाम हटाया गया। रेस्पोडेंट नं0 8 व 9 गैर हाजिर रहे।

अपील प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड नामान्तरकरण 2188 दिनांक 21.02.2012 की फोटोप्रति, प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 की फोटोप्रति, जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 की फोटोप्रति, आदि प्रस्तुत किये। वकील रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करना चाहने से बहस सूनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मेंमो में तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि अपीलांट नारायण का जायान्दा वारिस है। नामान्तरकरण निर्णित करते वक्त अपीलांट सेवालाल व रामचन्द्र का नाम अंकित नही करने में कानूनी एंव वाकियाती भूल की है। मृतक के वारीसान के पूर्ण जॉच भी नही की गई है। मृतक के वारीसान को सुनवाई व साक्ष्य हेतु सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया गया। अपील स्वीकार फरमाई जावे।

पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 2188 मृतक नारायण की विरासत का है। अपीलांट मृतक के जाईन्दा वारीस है नामान्तरकरण निर्णित करते वक्त पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक व संबंधित ग्राम पंचायत बिजौलियां ने मृतक के विधीक वारीसान की पूर्ण जॉच नही कर नामान्तरकरण निर्णित कर दिया। जो अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाती है। ग्राम बिजौलियां कला के नामान्तरकरण संख्या 2188 पर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पारित आदेश 21.02.2012 अपास्त किया जाता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया ।

अपील स्वीकार की जाती है न्यायहित में अपील में प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2188 दिनांक 21.02.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बिजौलियां को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि से जुडे समस्त व्यक्तियों को समुचित सुनवाई का अवसर देकर समस्त तथ्यो व मौका स्थित के अनुसार गुणावगुण के आधार पर नामान्तरकरण का पुनः निर्णय करे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 28.06.2018 को मुकाम बिजौलियां कला पर लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

28/06/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां